

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:- एफ.2 (क) (L-95) अलेसे- I/ 11513-11526

दिनांक:- 09-02-16

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 2 (क) (L -95) अलेसे- I/6925-34 दिनांक 27.07.2015 से श्री लक्ष्मीनारायण लावडिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को निलम्बित कर मुख्यालय कोषालय, जयपुर (शहर) किया गया था।

निलम्बन से बहाली हेतु गठित स्थाई समिति की दिनांक 04 फरवरी 2016 को आयोजित बैठक में श्री लावडिया की निलम्बन से बहाली का निर्णय लिये जाने पर श्री लक्ष्मीनारायण लावडिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, को तुरन्त प्रभाव से बहाल किया जाता है। निलम्बन से बहाली उपरान्त नियमित पदस्थापन होने तक श्री लावडिया, अपनी उपस्थिति संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में प्रस्तुत करेंगे तथा इस कार्यालय में रिक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, के पद का कार्य भी अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे।

निलम्बन अवधि का निर्णय उनके विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जांच के निर्णय के अध्वधीन होगा।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (L-95) अलेसे- I/ 11513-11526

दिनांक:- 09-02-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर
4. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री लावडिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु वांछित आरोप/आरोप विवरण पत्र आदि अविलम्ब भिजवाये।
5. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)
6. संयुक्त निदेशक (जांच) कार्यालय हाजा।
7. श्री लक्ष्मीनारायण लावडिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, द्वारा कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)
8. उप निदेशक (आईटी) एसीपी को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
10. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।


(डॉ० मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)